

## भूदान आन्दोलन

### पृष्ठभूमि-

- आजादी के बाद सामाजिक, आर्थिक विषमता को कम करने का एक मौलिक प्रयास भूदान आन्दोलन के रूप में सामने आया। वस्तुतः "गान्धी के दूरदर्शिय सिद्धांत व सर्वोदय की भावना को व्यावहारिक धरातल पर लाने का भूमि व जल प्राकृतिक उपहार हैं" अतः इस पर सबका अधिकार होना चाहिए। भारतीय समाज में प्रचलित कहावत "सबसे भूमि गोपाल की" की भावना से प्रेरित विनोबा ने सम्पन्न वर्ग से स्वच्छ पूर्वक जमीन प्राप्त कर उसे भूमिहीनों व निर्धनों में वितरित करने का लक्ष्य रखा।
- 1950 की परिस्थितियों पर नजर डालें तो आधिकांश जनसंख्या ग्रामीण थी, कृषि पर निर्भर थी तथा रोजगार का अभाव था। इसके साथ ही विभाजन की परिस्थितियों से उत्पन्न शरणार्थी समस्या सामाजिक, आर्थिक व परिस्थितियों की क्षीर विस्फोटक बना रही थी। और भूदान आन्दोलन इन सभी समस्याओं के नैतिक हल का प्रयास था।
- औपनिवेशिक शासन की नीतियों के कारण भू-स्वामित्व के संदर्भ में असमानता व्यापक हो गई थी एक तरफ तो किसी के पास हजारों एकड़ की जमीन का स्वामित्व था तो दूसरी तरफ बहुत बड़ी संख्या में लोग भूमिहीन थे। अतः भारत के सवालीकरण

के लिए आवश्यक था " कि जमीन का वितरण तार्किक व सामाजिक समता पर आधारित हो यदि जमीन के वितरण पर ध्यान नहीं दिया जाता तो हिंसक विद्रोह शुरू हो जाते जो नवीदित आजाद भारत के लिए अनुचित होता। अतः भूदान इस समस्या के हल का एक अहिंसक व नैतिक प्रयास था।

प्रक्रिया - 1951 में आचार्य विनोबा ने आन्ध्र के योचमपल्ली गाँव में भूदान आन्दोलन की शुरुआत की जहाँ रामचंद्र रेड्डी नामक जमींदार ने अपनी जमीन दान कर इस आन्दोलन को गति प्रदान की आचार्य विनोबा ने आह्वान किया कि गरीबी और हिंसक विद्रोहों के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए और इसका बेहतर उपाय है - भूदान

इस आन्दोलन में धनी वर्ग ने अपनी जमीन का 1/6 हिस्सा दान करने को प्रेरित किया गया।

सम्पूर्ण भारत की कुल 30 करोड़ एकड़ जोर भूमि में से 5 करोड़ एकड़ जोर भूमि प्राप्त कर उसे गरीबों और भूमिहीनों में वितरित करने का लक्ष्य रखा गया। 1960 का दशक आते-आते यह आन्दोलन न सिर्फ लोकप्रिय हुआ बल्कि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार जैसे राज्यों में भी प्रसारित होने लगा।

जहाँ जे. पी. जैसे नेतृत्वकर्ताओं के प्रयासों से यह शीघ्र ही भूदान से ग्राम दान में रूपान्तरित होने लगा और लगभग 4500 ग्राम दान प्राप्त हो चुके थे।

किन्तु आरम्भिक सफलताओं के बाद यह आन्दोलन कमजोर पड़ने लगा विशेषतः ग्राम दान की शुरुआत एक अविलम्ब कार्य साबित हुआ क्योंकि सामूहिक लाभ की भावना को अपनाना आसान नहीं था तथा यह समझा भी देती गई कि दान में प्राप्त अधिकांश भूमि बंजर थी या फिर विवादों में फँसी हुई थी। मही कारण था कि 40 लाख एकड़ जमीन प्राप्त होने के बावजूद केवल 42 हजार एकड़ की जमीन ही विक्रीत की जा सकी जो अपने लक्ष्य से काफी पीछे रह गया और धीरे-धीरे यह आन्दोलन समाप्त हो गया।

यद्यपि भूदान आन्दोलन अपने बांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका किन्तु सामाजिक-आर्थिक विषमता को दूर करने का यह एक सकारात्मक व नैतिक, ऐतिहासिक स्फूर्ति बन गया। आजादी के बाद यह भूमि सुधार का पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। और कानून की बजाय भारतीय समाज की सामूहिकता व नैतिकता के आधार पर ऐसा करने का प्रयास इसे आदर्श बनाता है।

किन्तु आजादी के बाद यह भूमि सुधार का पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। और कानून की बजाय भारतीय समाज की सामूहिकता व नैतिकता के आधार पर ऐसा करने का प्रयास इसे आदर्श बनाता है।

## राज्यों का पुनर्गठन

पृष्ठभूमि :-

आजादी के बाद समकालीन परिस्थितियों में सशक्त भारत के निर्माण के लिए समेकित रूप देना आवश्यक हो पला था और ऐसे में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या हो उसे निश्चितता प्रदान करना हमारे नेतृत्वकर्ताओं के समक्ष एक प्रबल चुनौती बना और इसी संदर्भ में एक विकल्प, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का भी उभरा।

उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस का दृष्टिकोण भाषाई राज्य के पक्ष में रहा था। 1916 में कांग्रेस ने इसी आधार पर भाषा प्रकोष्ठ की स्थापना की और 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसे आधिकारिक स्वीकृति दे दी।

1928 की नेहरू रिपोर्ट में भी भाषापी आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन किया गया था।

आजादी के बाद

• स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब राज्यों के पुनर्गठन का प्रश्न उभरा तो भाषाई आधार की व्यवहारिकता तय करने के लिए सर्वप्रथम धर आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने प्रशासनिक सुविधा के आधार

पर पुनर्गठन को उचित ठहराया किन्तु भाषायी आधार को तार्किक नहीं माना।

जनता के बढ़ते दबाव के बीच इस समस्या के हल के लिए जे.वी.पी समिति का गठन किया गया जिसमें सुझाव दिया की जनता को आपसी सहमति तथा आर्थिक व प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देते हुए भाषायी आधार को स्वीकारना चाहिए किन्तु अभी निश्चित प्रक्रिया नहीं बनी है अतः वर्तमान परिस्थितियों में भाषायी आधार को नहीं स्वीकारा जा सकता।

इन्हीं परिस्थितियों में मद्रास प्रांत में तेलगू भाषा के लोगों का अलग राज्य की मांग को लेकर आन्दोलन उग्र होने लगा था और गांधी-वादी नेता श्री रामलक्ष्मी ने 56 दिन के अमरण अनशन से इस मांग को लेकर जनता को प्रेरित किया तो समिति विस्फोटक हो गई और विरह होकर भाषायी आधार पर आन्ध्र प्रदेश को भारत का पहला राज्य बना दिया।

1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली, कंवर व पाणिकर के नेतृत्व में गठित की गई जिसने राज्य पुनर्गठन के लिए निम्न लिखित भाषारों को महत्वपूर्ण माना।

- A- राष्ट्रीय एकता
- B- आर्थिक व प्रशासनिक व्यवहारिता
- C- आर्थिक विकास

क्षल्प संघों के हितों के आधार पर

e- भाषाई आधार पर

इस तरह भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर अनिश्चितता बनी रही और इन्हीं मानकों के आधार पर 14 राज्य व 6 केन्द्र शासित प्रदेश गठित किए गए।

भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की समीक्षा

- आजादी के बाद जिस तरह भारत में आतीय व धार्मिक उन्माद फैला हुआ था ऐसे में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन आसान होना था क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में कार्य दूसरा कर सकता था व अप्रष्टता को प्रभावित कर सकता था।
- संघीय ढांचे में सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का भी यह आधार बना क्योंकि भाषा को प्राथमिकता देने से रीति-रिवाज व सांस्कृतिक को भी संरक्षण दिया जा सकता है।
- भाषाई आधार पर निर्मित राज्यों के बीच विकास की प्रतिस्पर्धा भी देखी गई मद्रास, हैदराबाद, बेंगलूर के बीच तेहतर व विकसित बनने की होड़ लग गई तो गुजराती और मराठी क्षेत्र ने भी विकास की ओर दबाव लगाई किन्तु उत्तर भारत के बड़े राज्य बीमार की संकल्पना में धिरे रहे।

भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की एक सीमा भी है -

भारत विविधता में एकता का देश है। अतः भाषाई आधार पर इसे सीमित करना हमारी सांस्कृतिक परम्परा के अनुकूल नहीं है। इसके साथ ही भारत में जनसंख्या की बसावट भी भाषा व बोलीयों के आधार पर अत्यधिक मिश्रित रही है। यदि भाषाई आधार पर ही राज्यों का गठन किया जाता तो वह उपास्यित भन्प भाषाई समूह के हितों व अधिकारों का प्रश्न उभरता तथा द्रविड़, नाडु जैसी संकल्पना हमारी एकता व अखण्डता को खतरे में डाल सकती थी। अतः भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का तर्क सही नहीं माना जा सकता।

नीचे से इतिहास लेखन:-

इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में 1940 के दशक में एक नया आयाम उपाश्रयवादी इतिहास लेखन से जुड़ा। इनका मानना था कि अभी तक का इतिहास अभिजात्य वर्गिय दृष्टिकोण से लिखा गया है, उसे ऊपर से इतिहास लेखकों को मानना चाहिए और आदिवासी मजदूर जैसे हासिए के वर्ग के दृष्टिकोण से अब इतिहास लेखन) नीचे से इतिहास लेखन को भी महत्व देना होगा।

• वस्तुतः भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी विद्रोहों ने जितनी प्रभावी भूमिका निभाई थी उसे परम्परागत इतिहास लेखन महत्व नहीं दे सका और भंगूजों ने तो इन विद्रोहों को लॉ एण्डु ऑर्डर का विषय मान कर इसकी महानता को मलिन करने का प्रयास किया।

• उपरोक्तवादी विद्वान यह भी मानते हैं कि आम आदमी को एक तरफ ब्रिटिश सत्ता तो दूसरी तरफ आभिव्यक्त संगठनों (कांग्रेस) से भी भुखना पड़ा इस दृष्टिकोण ने इतिहास लेखन का स्वरूप ही समूह बनाया और विशेषतः राष्ट्रनिर्माण में आम आदमी की भूमिका को स्थापित करने का प्रयास किया।

KGS IAS



KHAN SIR